संख्या02–/2019/2385ई-1/तेरह-201499-9(2)/ 2008

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,

अनु सचिव

उ.प्र .शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उ.प्र .प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-1 लखनऊ::दिनॉ क05दिसम्बर ,2019

विषय -:वर्ष2019 - 20हेतु संविदा वाहन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-सी/2632-एक-लेखा/सशक्तीकरण/संविदा वाहन /2010-11, दिनॉ क29 -08- 2018का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-562 ई-1 /तेरह-2010 499/(2)2008, दिनॉ क27 .04. 2010में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार वित्तीय वर्ष 20-2019के लिए 75 वाहन संविदा पर लिये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-:

यह वाहन प्रथमत :दिनॉ क31 .03. 2021तक ही उपलब्ध होंगे एवं तत्पश्चात उनके द्वारा किये गये प्रवर्तन कार्य के आधार पर आगे उन्हें चालू रखने अथवा न रखने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा । पूर्व से स्वीकृत 116 संविदा वाहन तथा वर्तमान में स्वीकृत किये जा रहे 75 संविदा वाहनों का मात्र प्रवर्तन कार्य में ही प्रयोग किया जायेगा ;किसी प्रशासनिक कार्य में नहीं ।

3. प्रस्तर-2 में स्वीकृत संविदा वाहनों का उपयोग वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा संबंधित जनपदों में संविदा पर रखे गये वाहनों के संविदा अनुबन्ध का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-9/1701-दस-2019, दिनॉ क05 दिसम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

)वेद प्रकाश राय(

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-02/2019)2385/1(ई-1/तेरह-2019499-(2)/ 2008तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

.1 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

.2 महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3. मुख्य कोषाधिकारी, प्रयागराज।

4. वित्त नियंत्रक, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

5. समस्त संयुक्त/उप/सहायक आबकारी आयुक्त, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश।

6. वित्त) व्यय नियंत्रण (अनुभाग-9,

7. वित्त) आय-व्ययक (अनुभाग-1/2,

8. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

)वेद प्रकाश राय(

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।